

बिहार सरकार
पर्यावरण एवं वन विभाग

प्रेषक,

रत्नेश झा,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक-...../03/2016

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक पथ तट फार्म योजनान्तर्गत पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार के अधीन विभिन्न प्रमंडल, अंचल, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक तथा मुख्यालय स्तर के सभी कार्यालयों में आधार कार्ड आधारित उपस्थिति प्रणाली की स्थापना हेतु कुल ₹13.23214 लाख (तेरह लाख तेईस हजार दो सौ चौदह रूपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल ₹9.63738 लाख (नौ लाख तिरसठ हजार सात सौ अठतीस रूपये मात्र) के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक पथ तट फार्म योजनान्तर्गत पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार के अधीन विभिन्न प्रमंडल, अंचल, क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक तथा मुख्यालय स्तर के सभी कार्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित करने के निमित्त आधार कार्ड आधारित उपस्थिति प्रणाली की संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुरूप स्थापना हेतु कुल ₹13.23214 लाख (तेरह लाख तेईस हजार दो सौ चौदह रूपये मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015-16 में कुल ₹ 9.63738 लाख (नौ लाख तिरसठ हजार सात सौ अठतीस रूपये मात्र) के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस राशि की निकासी मुख्यशीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्यप्राणी, उपमुख्यशीर्ष-01-वानिकी-राज्य योजना, लघुशीर्ष-800-अन्य व्यय, मांग संख्या-19 उपशीर्ष-0105-पथ तट फार्म, विपत्र कोड-पी2406018000105 के विषयशीर्ष-02 01-मजदूरी, एवं 27 01-लघु कार्य, तथा मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी,

Q

उपमुख्यशीर्ष-01-वानिकी-राज्य योजना, लघुशीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या-19 उपशीर्ष-0103-पथ तट फार्म, विपत्र कोड-पी2406017890103 के विषयशीर्ष-02 01-मजदुरी के अंतर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन संरक्षक, मुख्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्यालय बिहार, पटना होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी।

4. प्रस्ताव में संचिका के पृ०-02/टि० पर दिनांक-03.03.2016 को प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग की स्वीकृति तथा प्रारूप में संचिका के पृ०-04/टि० पर दिनांक-08.03.2016 को आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

5. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

6. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. कार्य स्थल पर कार्यों के नियमित पर्यवेक्षण का कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा तथा योजना क्रियान्वयन का अनुश्रवण अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा।

8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा उपलब्ध कराया गया प्राक्कलन जो परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप ही योजना को पूर्ण किया जायेगा। यदि योजना के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की अनियमितता होती है तो इसके लिए कार्यान्वयन एवं निरीक्षण/पर्यवेक्षण में संलग्न पदाधिकारियों की जिम्मेवारी होगी।

१

9. इस योजना में दिये गये प्रथम अग्रिम से कार्य योजना की गुणवत्ता एवं भौतिक प्रगति से पूर्णतः संतुष्ट होने तथा इसकी प्रविष्टि मापी पुस्तिका में हो जाने तथा तथा क्रियान्वयन संबंधी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सक्षम पदाधिकारी द्वारा अग्रिम की अगली किस्त निर्गत की जायेगी तथा स्वीकृत राशि के विरुद्ध कराये गये कार्यों का स्वयं संतुष्टि एवं स्थल जाँच संबंधी प्रमाण-पत्र संधारित किया जायेगा तथा भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन विभाग को ससमय उपलब्ध कराया जायेगा।

अनुलग्नक - यथोक्त।

विश्वासभाजन,


ह०/-

(रत्नेश झा)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-59/2015 858 /प०व० पटना-15, दिनांक-08/03/2016

प्रतिलिपि :- (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सहायक आंतरिक वित्तीय सलाहकार/आई०टी० मैनेजर/बजट शाखा (दो प्रतियों में), पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


8/3/16
(रत्नेश झा)

सरकार के उप सचिव


Detail Estimate of the Project

परिशिष्ट - 1

District	Name of offices	No of Machines required	Cost Estimate (Approximate in Rs)		
			Year 2015-16	2016-17	2017-18
Patna	PCCF Office, Aranya Bhawan	22(Six wall mounted and sixteen desktop USB enabled)	264000.00	0	0
	CCF JFM	1	12000.00	0	0
	Director Zoo	1	12000.00	0	0
	DFO Patna	1	12000.00	0	0
	DFO Working Plan	1	12000.00	0	0
	DFO Research	1	12000.00	0	0
Nalanda	DFO	1	12000.00	0	0
Bhojpur	DFO	1	12000.00	0	0
Gaya	CF	1	12000.00	0	0
	DFO	1	12000.00	0	0
Nawada	DFO	1	12000.00	0	0
Aurangabad	DFO	1	12000.00	0	0
Rohtas	DFO	1	12000.00	0	0
Bhabhua	DFO	1	12000.00	0	0
Bhagalpur	RCCF	1	12000.00	0	0
	CF	1	12000.00	0	0
	DFO	1	12000.00	0	0
Banka	DFO	1	12000.00	0	0
Jamui	DFO	1	12000.00	0	0
Munger	DFO	1	12000.00	0	0
Purnia	CF	1	12000.00	0	0
	DFO	1	12000.00	0	0
Araria	DFO	1	12000.00	0	0
saharasa	DFO	1	12000.00	0	0
Supaul	DFO	1	12000.00	0	0
Muzaffarpur	RCCF	1	12000.00	0	0
	CF	1	12000.00	0	0
	DFO	1	12000.00	0	0
Sitamarhi	DFO	1	12000.00	0	0
Begusarai	DFO	1	12000.00	0	0
Samastipur	DFO	1	12000.00	0	0
Darbhanga	DFO	1	12000.00	0	0
Siwan	CF	1	12000.00	0	0
Vaishali	DFO	1	12000.00	0	0
Gopal ganj	DFO	1	12000.00	0	0
Motihari	DFO	1	12000.00	0	0
Saran	DFO	1	12000.00	0	0
West Champaran	CF	1	12000.00	0	0
	DFO	1	12000.00	0	0
	DFO	1	12000.00	0	0
	DFO	1	12000.00	0	0
Sub Total		62	7,44,000.00	0	0
	Charges of 3G Connectivity	62x @ 2899 Per year(1.5 GB per month)	1,79,738/-	1,79,738/-	1,79,738/-
	Wi Fi Adapter	40 x Rs. 1000	Rs. 40000	0	0
Total			9,63,738/-	1,79,738/-	1,79,738/-
Grand Total				13,23,214/-	

Note :- Including Delivery and installation charges and all taxes) DG&SD rate with two year warranty

T. S. accorded for Rs. 13,23,214/- (Thirteen lakh twenty three Thousand & two Hundred Fourteen) only.


 उप सचिव
 पर्यावरण एवं वन विभाग
 बिहार, पटना


 Conservator of Forest (HQ)
 PCCF Office,
 Bihar, Patna